न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र 14(4) सख्या / 01 / 2020

1—भगवानसिंह । पिसरान होती जाति जाट निवासी महंगाया तहसील व
2—हरवीर सिंह । जिला भरतपुर

..........प्रार्थी0

बनाम

1—वृजो पुत्र रामस्वरुप । जाति भडभूजा निवासी महंगाया तहसील व
2—लक्ष्मी देवी पत्नि बृजो । जिला भरतपुर
3—कृषि भूमि आवंटन सलाहकार समिति भरतपुर जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना— पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू —आंबटन नियम 1970), आंबटन दिनांक 21.6.2002

निर्णय

दिनांक 20.9.2024

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आंबटन नियम 1970 विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है — आवंटन सलहाकार समिति ने खसरा नम्बर 111 रकवा 0.03 है0 का आवंटन करते समय इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि यह खसरा नम्बर भरतपुर गोवर्धन रोड के सहारे स्थित है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियमानुसार इस रोड की चौडाई मध्य से 15 मीटर व उसके बाद वृक्षारोपण हेतु जगह होती है तो ऐसी सूरत में रोड के मध्य से 15 मीटर जगह जाने के बाद खसरा नम्बर 111 का संपूर्ण रकवा रोड में चला जाता है और मौके पर आज भी इस नम्बर में रोड सडक एवं पटरी बनी हुई है। कानून धारा 16 आरटीएक्ट के मुताविक सार्वजनिक रास्ते का आंबटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन सलाहकार समिति में किसी भी प्रकार से कोरम पूरा नही था, करोम के अभाव में आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आबंटित खसरा नम्बर 111 रकवा मात्र 4 ऐयर है जिस पर किसी भी प्रकार

..................2

जिला कलक्टर
भरतपुर

से कृषि नहीं हो सकती है इस लिये उक्त आवंटन कृषि प्रयोजन हेतु नहीं माना जा सकता है। आवंटित आराजी पर एलोटी का कब्जा नहीं रहा है इस लिए बिना कब्जे के आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी के सहारे प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 112 भी मौके पर रोड से लगा हुआ है इसलिए प्रार्थीगण सार्वजनिक एवं स्वयं अपना हित भी रखने के कारण उक्त आवंटन से व्यथित हैं। उक्त आवंटन की जानकारी दिनांक 12.3.2020 को उस समय हुई जब गैर सायलान ने मौके पर जाकर धमकी दी कि हम इस सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण कर रास्ते को अवरुद्ध करेंगे। इस पर नकल वगे0 लेकर बिना किसी देरी के प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 21.6.2002 को निरस्त करते हुये खसरा नम्बर 111 को सरकारी नम्बर दर्ज किया जाने की प्रार्थना की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण एवं एस.डी.ओ. भरतपुर से रिकार्ड तलब किया गया। एस.डी.ओ.भरतपुर के जरिये पत्रांक राजस्व/कोर्ट/24/889 दिनांक 20.6.24 से आवंटन कमेटी बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 21.6.2002 की प्रमाणित प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। अप्राथी0 की ओर से जबाव पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 14(4) में अंकित कथनों को दोहराते हुये वताया कि अप्रार्थी बृजो पुत्र रामस्वरुप को आराजी खसरा नम्बर 111 रकवा 4 ऐयर ग्रांम महगाया में आंबटन कमेटी द्वारा दिनांक 21.6.2002 को आबंटन किया गया है उक्त आंबटन कमेटी में क्षेत्र के प्रधान की उपस्थिति आवश्यक थी, प्रधान उपस्थित नहीं था। योग्य अभिभाषक का तर्क है आंवटन कमेटी में कोरम पूर्ण नहीं था, बिना कोरम पूर्ण किये जो आवंटन किया गया है वह नियम विरुद्ध है। आराजी खसरा नम्बर 111 रकवा 0.03 है0 गै.मु.सड़क है गैर मुमकिन सड़क का आर.टी.एक्ट की धारा 16 के तहत आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त आंवटित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ नहीं मानी जा सकती है। यह रकवा रोड़ से लगा हुआ है। इस खसरा नम्बर में से सार्वजनिक रास्ता है, जिस से होकर प्रार्थीगण भी आते जाते हैं। उक्त खसरा नम्बर के सहारे प्रार्थी0 का खातेदारी आराजी

.................3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र 14(4) सख्या / 01 / 2020
भगवानसिंह वगै0 बनाम वृजो वगै0

खसरा नम्बर 112 स्थित है जो मौके पर रोड से लगा हुआ है। इसलिए प्रार्थी0 स्वयं का हित भी रखते हैं। आवंटन करने की बाबत कोई सूचना सार्वजनिक जारी नहीं की गई है। आवंटन आदेश की जानकारी दिनांक 12.3.2020 को हुई जब प्रार्थीगण ने सार्वजनिक रास्ते में निर्माण करने की धमकी दी, जब जाकर प्रतिलिपि लेकर प्रार्थना पत्र बावत आवंटन निरस्त किये जाने पेश किया गया है देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(2) पेज 788, आर.आर.टी. 2021 प्रथम पेज 740 एवं आर.आर.टी. 2023 प्रथम पेज 272 उद्धरत किये तथा प्रार्थना पत्र धारा 14(4) स्वीकार किया जाकर आवांटन आदेश दिनांक 21.6.2002 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने अपनी बहस में कथन आंबटन सलाहकार समिति ने कोरम पूरा होने पर ही सम्बन्धित काश्तकारों को भूमि का आवंटन किया गया है, जिसमें अप्रार्थी को भी आराजी खसरा नम्बर 111 रकवा 0.03 एवं आराजी खसरा नम्बर 474 रकवा 0.08 कुल किता 2 रकवा 0.11 का आंवटन हुआ था। विवादित आराजी खसरा नम्बर 111 सड़क के मध्य से 25 मीटर की दूरी पर है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने यह भी बताया कि विवादित आराजी खसर नम्बर 111 के सामने तथा सड़क तक के बीच में रास्ता के लिये खाली जगह पड़ी हुई है। विवादित आराजी खसरा नम्बर पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा है और आराजी में कृषी हो रही है। विवादित आराजी खसरा नम्वर 111 रास्ते का नम्बर नहीं है सड़क और उक्त आराजी के मध्य 25 मीटर से ज्यादा भूमि खाली पड़ी हुई है इससे गोबरधन रोड़ आम आदमी आते जाते हैं। प्रार्थी का आराजी खसरा नम्बर 112 जो कि रोड़ से लगा हुआ है, इसलिये प्रार्थी बदनियत के कारण विवादित (अप्रार्थी के) आराजी खसरा नम्बर 111 को अपने खसरा नम्बर 112 में मिलाना चाहता है। प्रार्थी के मन में बदनियत आने के कारण आवंटन के 18 साल बाद यह भूमिका तैयार कर अप्रार्थी के आवंटन को निरस्त कराने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ने जो म्याद प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन पेश किया है उसमें जो तथ्य अंकित किये हैं वे मनगढत

....................4

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र 14(4) सख्या/01/2020
भगवानसिंह वगै0 बनाम वृजो वगे0

हैं अप्रार्थी ने कोई धमकी प्रार्थी को नहीं दी और नाहीं अप्रार्थी अपने खातेदारी आराजी खसर नम्बर में कोई निर्माण कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र धारा 14(4) खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया। आवंटन आदेश दिनांक 21.6.2002 पर गौर किया । आवंटन आदेश दिनांक 21.6.2002 के अवलोकन से जाहिर है कि आवंटन सलाहकार समिति ने अन्य व्यक्तियों (आवंटियों) के साथ अप्रार्थी को भी आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 111 रकवा 0.03 एवं आराजी खसरा नम्बर 474 रकवा 0.08 कुल किता 2 रकवा 0.11 का आंवटन किया है।

प्रकरण में मुख्य रुप से निम्न बिन्दू तय किये जाने हैं :—

1— क्या आवंटन सलाहकार समिति में किसी भी प्रकार से कोरम पूरा नहीं था ?

2—क्या आवंटन सलाहकार समिति में विधान सभा सदस्य और प्रधान, पंचायत समिति का उपस्थित होना अनिवार्य है ?

3— क्या आवंटन सलाहकार समिति की मीटिगं के लिये नोटिस जारी नहीं किये गये ?

4—क्या विवादित आराजी खसरा नम्बर 111 रकवा 0.03 है0 गैर मुमकिन सड़क राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 की श्रेणी में आती है ?

5— क्या अप्रार्थीगण ने दिनांक 12.3.2020 को विवादित आराजी में निर्माण करने की धमकी प्रार्थी को दी ?

1 व 2 —

प्रथमतः हमने Allotment for Agricultural Purposes Rules 1970 में दिये गये प्रावधानों पर गौर किया।

Allotment for Agricultural Purposes Rules 1970 के नियम 13 में उल्लेख है—

जिला कलक्टर
भरतपुर

.............5

18/24
18/24
19/24
1/9/2

Allottment to be in consultion with Advisory Committee (i) All allotment shall be made by the sub-Divisional officer in counsultation with an Advisory Committee consisting of –
(i)the member of the Rajasthan Legisiative Assembly in whose constituency the land is situated.
(ii)the pradhan of the panchayat samiti having jaurisiction.
(iii)the sarpanch of the panchayat having juristiction.
(v)the Tehsildar of the Tehsil having jurisdiction.
(vi)a person belonging to scheduled caste or scheduled tribe to be nominated by the panchayat samiti from amogst its members.
(vii)a pertson to be nominated by the state Govt. in reas in which such nomination is considered necessary in public interest.

इसी प्रकार उक्त आवंटन सलाहाकार समिति में से कॉरम पूरा करने के लिये सदस्य की उपस्थिति अनिवार्यता के लिये निम्न प्रावधान में स्पष्ट किया गया है:–

Allotment for Agricultural Purposes Rules 1970 नियम 13 के (3A) में उल्लेख है :– The Quorum for constitution the meeting of Advisory Committee shall be Three members of quorum the quorum for the adjourned meeting shall be (two members of whom one shall be from clause (i)](ii) of sub-rule(i)

आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 21.6.2002 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त आवंटन सलाहाकार समिति में निम्न सदस्य 1–सरंपच ग्रांम पंचायत मोरोली कला 2–तहसीलदार भरतपुर 3–श्री बाबूलाल सहवृत सदस्य पंचायत समिति सेवर एवं 4–श्री छीतर सिंह सदस्य पंचायत समिति सेवर उपस्थित हुये हैं उक्त सभी सदस्यों के आवंटन कार्यवाही आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर किये हुये हैं। यानि वक्त आवंटन आवंटन सलाहाकर समिति का कोरम पूरा था।

..............6

जिला कलक्टर
भरतपुर

आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 21.6.2002 में उक्त सभी 4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के हस्ताक्षर किये हुये हैं।

3– योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह कहना कि आवंटन बैठक के लिये नोटिस जारी नहीं किये गये, यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्यों कि आवंटन सलाहकार समिति में उपस्थित आये चार सदस्य का मिटिंग में उपस्थित आना यह जाहिर करता है कि उन्हें विधिवत बैठक की सूचना मिलने के उपरान्त ही वे बैठक में उपस्थित हुये हैं। यहॉ प्रार्थी ने सिवाय मौखिक कथनों के ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे उनके मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो।

4 व 5 – आंवटित विवदित आराजी खसरा नम्बर 111 रकवा 0.03 की भूमि किस्म के सम्बन्ध में पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 ग्रांम महंगाया में विवादित आराजी खसरा नम्बर 111 रकवा 0.03 एवं खसरा नम्बर 474 रकवा 0.08 हे0 की भूमि किस्म बारानी 1 दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2043 ग्रांम महंगाया हाल आराजी खसरा नम्बर 111 रकवा 0.03 हे0 गत खसरा नम्बर 239 मि0 से बनाया जाना दर्शाया गया है। मुताविक जमाबन्दी सम्वत् 2025 में गत आराजी खसरा नम्बर 239 का रकवा 3 बीधा 13 विस्वा का दर्ज है यानि यह खसरा नम्बर बड़ा रकवा है जिससे हाल विवादित खसरा नम्बर 111 रकवा 0.03हे0 के साथ अन्य खसरा नम्बर 109,110 बनाये जाने दर्शाये गये हैं। जमाबन्दी में गत आराजी खसरा नम्बर 239 के पहले खसरा नम्बर 237 दर्ज है जिसके भूमि किस्म कॉलम में शब्द अंकित किया हुआ और उसके बाद उसे काटा गया है, जो अपठनीय है, और आराजी खसरा नम्बर के नीचे विवादित आराजी खसरा नम्बर 239 दर्ज है इसके सामने भूमि कॉलम में निशान (") किया हुआ है। इससे यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 111 रकवा 0.03 हे0 गैर मुमकिन सड़क हो।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अन्य कोई साक्ष्य दस्तावेजी ऐसा नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 111 रकवा 0.03 की भूमि किस्म गैर मुमकिन सड़क हो। स्वयं प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र

..............7

जिला कलक्टर
भरतपुर

की मद नम्बर 6 में इस बात को स्वीकार करता है कि "...... प्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 112 भी मौके पर रोड से लगा हुआ है इसलिये प्रार्थीगण सार्वजनिक एवं स्वयं अपना हित भी रखने के कारण उक्त आवंटन से व्यथित हैं..... ।"

प्रार्थी का 18 साल बाद आकर यह कहना कि विवादित आराजी में आम रास्ता है और गै.मु. सड़क की भूमि है, जब कि प्रार्थी की आराजी भी विवादित आराजी खसरा नम्बर 111 के पास स्थित है, यहॉ यह विचारणीय प्रश्न है कि वक्त आवंटन के बाद प्रार्थी या अन्य व्यक्तियो को 18 साल तक आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हुई, और 18 साल बाद यह कहकर आना कि अप्रार्थी ने विवादित आराजी में निर्माण करने की धमकी दी है तव जाकर उसे आवंटन की जानकारी हुई है। प्रार्थी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 111 सड़क के सहारे होने से आवंटन आदेश दिनांक 21.6.2002 को निरस्त कराने के लिये एक सुनियोजित योजना के तहत यह आवंटित खसरा नम्बर 111 के आवंटन को निरस्त कराकर उक्त रकवा को सड़क दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं क्यों कि प्रार्थी का स्वयं का खातेदारी खसरा नम्बर 112 भी विवादित आराजी खसरा नम्बर 111 के पास सड़क के पास स्थित है।

अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज किया जाना उचित पाते हैं। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जैसा कि हम ऊपर विवेचन कर चुके हैं कि आया गत आराजी खसरा नम्बर 239 रकवा 3 बीधा 13 विस्वा गैर मुमकिन सड़क है या नहीं। इसलिये न्यायहित में विस्तृत राजस्व रिकार्ड का परिक्षण करने हेतु भूमिधारी तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाना उचित पाते हैं कि वे जांच करें कि आराजी गत खसरा 239 रकवा 3 बीघा 13 विस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 111 रकवा 0.03 ग्रांम महगांया गैर मुमकिन रास्ता का रकवा है या नहीं । अगर विवादित आराजी गैर मुमकिन सड़क की भूमि हो तो नियमानुसार आवंटन वगे0 निरस्त कराने के लिये एवं राजस्व रिकार्ड के साथ प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें।

..............8

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र 14(4) सख्या/01/2020
भगवानसिंह वगै0 बनाम वृजो वगै0

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र 14(4) प्रार्थी खारिज किया जाता है। प्रकरण भूमिधारी तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे आराजी गत खसरा 239 रकवा 3 बीघा 13 विस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 111 रकवा 0.03 ग्रांम महगांया तहसील भरतपुर की भूमि किस्म बाबत राजस्व रिकार्ड के आधार पर विस्तृत जॉच करें। अगर राजस्व रिकार्ड में स्पष्ट रुप से उक्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन सड़क दर्ज पाई जावे तो नियमानुसार आवंटन वगै0 निरस्त कराने का प्रकरण प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर